न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 756 / 2022
अनवान : –

1. राजेन्द्र पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. सतपाल पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. नत्थुराम पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. बंशीलाल पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. धापा देवी पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
4. गिरदावरी पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
5. रोशनी पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 17/4/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 54 / 48 की कुल 4.1735है0 भूमि व रोही मौजा सोती बड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 54 / 54 के खसरा न0 49 की कुल 16.8570है0 भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 68 / 64 की कुल 1.5180 है0 भूमि व रोही मौजा 7 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 68 / 68 की कुल 3.5420है0 भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। उक्त वाद भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। उपरोक्त वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 जो की वादी का पिता है के नाम व प्रतिवादी स0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी स0 1 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहता है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुका है तथा प्रतिवादीया स0 3 ता 5 जो की वादीगण की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग [illegible] भूमि में वादीगण व प्रतिवादी स0 2 बहिब काबिज है तथा वादीगण इसी [illegible] भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। लिहाजा यही बिनाय मुखासमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:06:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को स्वीकार कर लेवे तथा रोही मौजा 3 आरएमजी के खाता स0 54/48 की 4.1735है0 भूमि व रोही मौजा सोतीबड़ी के खाता स0 54/54 की 16.8570है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन कर वादीगण स0 1 ता 2 व प्रतिवादी स0 2 को बहिब खातेदार काश्तकार दर्ज कर देवे तथा रोही मौजा 3 आरएमजी के खाता स0 68/64 की 1.5180है0 भूमि एवं रोही मौजा 7 आरएमजी के खाता स0 68/68 की कुल 3.5420है0 भूमि में प्रतिवादी स0 2 के साथ वादीगण को बहिब खातेदार काश्तकार दर्ज कर देवे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादीगण इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 6 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी रोही मौजा 3 आरएमजी के खाता स0 54/48 व 68/64 तथा रोही मौजा 7 आरएमजी के खाता स0 68/68 एवं रोही मौजा सोतीबड़ी के खाता स0 54/54 की नवीनतम एवं पुरानी जमाबंदी तथा सदस्य प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत दीपलाना आदि पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी स0 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी स0 1 व प्रतिवादीया स0 3 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में परित्याग कर चुके है। वादीगण अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहते है। वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 5 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। [illegible] रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 54/48 की कुल 4.1735है0 भूमि व रोही मौजा सोती बड़ी तहसील नोहर के [illegible] 2075 के खाता स0 54/54 के खसरा न0 49 की कुल 16.8570है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:06:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

के खाता स0 68/64 की कुल 1.5180 है0 भूमि व रोही मौजा 7 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 68/68 की कुल 3.5420है0 भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत दीपलाना एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 1, 3 ता 5 ने उक्त वाद भूमि में अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादी सं0 1 ता 5 द्वारा वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। अतः वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 54/48 की कुल 4.1735है0 भूमि व रोही मौजा सोती बड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 54/54 के खसरा न0 49 की कुल 16.8570है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 1 व वादी स0 2 तथा प्रतिवादी स0 2 को तीनों को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा तथा रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 68/64 की कुल 1.5180 है0 भूमि व रोही मौजा 7 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 68/68 की कुल 3. 5420है0 भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी स0 2 के साथ वादीगण स0 1 व 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/4/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:06:41 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 756 / 2022

अनवान : –

1. राजेन्द्र पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. सतपाल पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. नत्थुराम पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. बंशीलाल पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. धापा देवी पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
4. गिरदावरी पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
5. रोशनी पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 756 सन 2022

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र गोदारा व वकील प्रतिवादी श्री सुबोध शर्मा की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 54 / 48 की कुल 4.1735है0 भूमि व रोही मौजा सोती बड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 54 / 54 के खसरा न0 49 की कुल 16.8570है0 भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 1 ता 2 व प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा तथा रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 68 / 64 की कुल 1.5180 है0 भूमि व रोही मौजा 7 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 68 / 68 की कुल 3.5420है0 भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी स0 2 के साथ वादीगण स0 1 व 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 1.21.4.1.23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:06:41 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर